महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 7 अक्तूबर, 2005

सं. टीएएमपी/80/2000-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान और वेतन, दिहाड़ी और पेंशन की बकाया राशियों की मद में देयताओं को पूरा करने हेतु विशेष दर की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/80/2000-सीपीटी

आदेश

(अक्तूबर, 2005 के छठे दिन पारित)

यह प्रकरण केओपीटी के वर्तमान दरमान केओपीटी के प्रचलित दरमान और पत्तन उपयोगकर्ताओं द्वारा 30 सितम्बर, 2005 के बाद देय विभिन्न प्रभारों पर निर्धारित की गई 10% की विशेष दर की वैधता बढ़ाने से संबंधित है।

2. जैसाकि पहले बताया जा चुका है, केओपीटी के प्रचलित दरमान और 10% की विशेष दर की वैधता 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त हो गई है। केओपीटी ने अपने दरमान के संशोधन के लिए 22 जुलाई, 2005 को सामान्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में 31 मार्च, 2007 तक लागू पत्तन प्रभारों पर 10% की विशेष दर का विस्तार भी शामिल है। कथित सामान्य संशोधन प्रस्ताव को विचारार्थ ले लिया गया है। केओपीटी द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है और अंतिम विचार-विमर्श के लिए प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा। अतएव, यह प्रकरण, केओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितम्बर, 2005 से आगे विस्तार प्रदान करने का इरादा रखता है।

3.1. केओपीटी ने इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामान्य संशोधन प्रस्ताव के साथ 31 दिसम्बर, 2000 तक जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों से प्रोद्भूत वेतन, दिहाड़ी और सेवा निवृत्ति लाभों की बकाया राशि की मद में केओपीटी की देयताओं के संबंध में एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वेतन, दिहाड़ी, पेंशन लाभ की बकाया राशियों और इन राशियों के भुगतान के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर 31 मार्च, 2001 तक जमा हुए देय ब्याज की मद में कुल देनदारी का संशोधित अनुमान 227.89 करोड़ रुपये बताया जाता है। इस संबंध में पत्तन द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षित स्थिति से यह पाया गया है कि पत्तन ने 30 जून, 2005 तक अपनी 250.74 करोड़ रुपये तक की देनदारियाँ भुगतान कर दी हैं और कुल देनदारियों और अर्जित राजस्व तथा कथित प्रयोजन के लिए 10% की विशेष दर से अर्जित किए जाने वाले राजस्व के बीच 64.97 करोड़ रुपये की कमी दिखाई देती है। यह ध्यान देने योग्य है कि 10% की विशेष दर से जून, 2005 तक उत्पन्न हुआ राजस्व 212.92 करोड़ रुपये बताया गया है। इसने आगे बताया है कि इस विशेष दर से 31 मार्च, 2006 तक 56.27 करोड़ रुपये की उगाही होने का अनुमान है। विशेष दर से उद्भूत राजस्व और

विशेष दर से उत्पन्न होने वाले राजस्व बकाया देनदारियों की मद में प्रोद्भूत कुल संशोधित देनदारियों और पहले ही भुगतान कर दी गई देनदारियों की मात्रा को लेखा-परीक्षा द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है।

3.2. चूंकि केओपीटी ने अपना सामान्य संशोधन प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। विशेष दर की मात्रा और अवधि का मूल्यांकन, अपनाए जाने वाले राजस्व मॉडल के संदर्भ से किया जा सकता है। उस समय तक के लिए, केओपीटी द्वारा बताई गई बकाया देनदारियों की मात्रा पर ध्यान देते हुए यह प्राधिकरण लागू प्रभारों पर 10% की विशेष दर को 30 सितम्बर, 2005 से, पत्तन के सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक की अवधि तक विस्तार प्रदान करने का इरादा रखता है।

3.3. परिणामस्वरूप, और ऊपर वर्णित कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केओपीटी के प्रचलित दरमान और 10% की विशेष दर को, केओपीटी द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक विस्तार प्रदान करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/05-असाधारण]